समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

जिला परियोजना कार्यालय, (समग्र शिक्षा)

कक्ष क. 37 कलेक्टोरेट परिसर, रायपुर (छ.ग.) फोन – 0771–2426926,

क्रमांक / SS / PMSHRI / 765 / 2025–26 रायपुर, दिनांक 08/8 /2025

–: स्पेशल एजूकेटर पद हेतु विज्ञापन :–

पीएमश्री योजना के अंन्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2025–26 के अनुसार रायपुर जिले के 09 पीएमश्री स्कूलों के लिए 13 स्पेशल एजुकेटरों के पद की स्वीकृति प्राप्त हुई है। **स्कूल स्तर पर 31/03/2026 तक के लिए मानदेय पर पूर्णतः अस्थाई रूप से रखा जाना है। इस हेतु अंतिम तिथि दिनांक 25/08/2025 को सायं 05:00 बजे तक आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है।** समग्र शिक्षा, जिला परियोजना कार्यालय, रायपुर डाक में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नही रहेगा, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिया जावेगा। कार्यालय में सीधे आवेदन स्वीकर नही किया जावेगा। भर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैः–

S.No.	PM Shri School Name	UDISE Code	Special Educator			आरक्षण केटेगरी
			PS	UPS+Sec +Hsec	Total	
1	SWAMI AATMANAND UTKRISHT ENGLISH MEDIUM SCHOOL BIRGAON	22110407327	0	1	1	अनारक्षित
2	GOVT PRIMARY SCHOOL TIWRAIYA	22110410101	1	0	1	अनारक्षित
3	SWAMI AATMANAND ENGLISH MEDIUM UTKRISHT SCHOOL KUNRA	22110410715	0	2	2	1 पद –अनु.जनजाति 1 पद –अनारक्षित
4	SWAMI AATMANAND UTKRISHT ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARAGAON	22110422408	0	2	2	1 पद –अनु.जनजाति 1 पद –अनारक्षित
5	SWAMI AATMANAND UTKRISHT VIDYALAYA PRABANDHAN SAMITI KHORPA	22110607410	0	2	2	1 पद –अनु.जनजाति 1 पद –अनारक्षित
6	GOVT PRIMARY SCHOOL SASAHOLI	22110808901	2	0	2	1 पद –अनु.जनजाति 1 पद –अनारक्षित
7	GOVT NEW PRIMARY SCHOOL KHARORA	22110810603	1	0	1	अनारक्षित
8	BHARAT DEWANGAN UTKRISHT ENGLISH MEDIUM VIDYALAYA PRABANDHAN SAMITI KHARORA	22110813803	0	1	1	अनारक्षित
9	GOVT PRIMARY SCHOOL SIRWE	22110817201	1	0	1	अनारक्षित
	Total		**5**	**8**	**13**	

तत्संबंध में दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैः–

दिये गये विद्यालयों में स्पेशल एजुकेटर के पद 10 माह हेतु राशि 20000/– रू. प्रतिमाह के एक निश्चित मानदेय पर अस्थायी रूप से स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नही होगी। स्पेशल एजुकेटर की शैक्षणिक अर्हताएं(योग्यता) निम्नानुसार हैः–

Levels		Qualification
Primary Stage (Class 1st to 5th)	Primary Level	1/ D.Ed. in special Education from a RCI Approved institute and possess a valid RCi CRR number **Or** D.El.Ed. with a recognized qualification (Certificate/Diploma) from a RCI approved institution equivalent to D.Ed. in Special Education and possess a valid RCI CRR number.
Middle stage (Class 6 to 8) Secondary stage (Class 9 to 12)	Upper Primary + Secondary + Higher Secondary	1/B.ed in Special Education From a RCI Approved institute and possess a valid RCI CRR number B.Ed. with a recognized qualification (Certificate/Diploma*) from a RCI approved institution equivalent equlvalent to B.Ed. in special Education and possess a valid RCI CRR number

नियम एवं शर्ते :—

- हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु बी.एड. (विशेष शिक्षा)/प्राथमिक शालाओं हेतु 02 वर्षो का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) डी.एड़/डी.एल.एड़। विशेष शिक्षा से आशय है कि– दृष्टिबाधिता, श्रवणबाधिता, बौद्विक अक्षमता, अधिगम अक्षमता, सेरेब्रल पाल्सी, बधिरान्धता में से कम से कम किसी एक विषय में भारतीय पुर्नवास परिषद् RCI (Rehabilitation Council of India) पंजीकृत विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से बी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा 02 वर्षो का डिप्लोमा डी.एड़/डी.एल.एड(विशेष शिक्षा) होना चाहिए।
- आवेदक का जीवित पंजीयन भारतीय पुर्नवास परिषद् RCI (Rehabilitation Council of India) में पंजीयन अनिवार्य हैं।
- आवेदनकर्ता को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। संबंधित विकासखंड़ के स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी।
- आवेदनकर्ता को छत्तीसगढ़ी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। जिससे छत्तीसगढ़ के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं बच्चों के पालकों से समन्वय कर विचार विमर्श किया जा सकें।
- उम्मीदवारो को अनुबंध के आधार पर विशुद्व रूप से अस्थाई एवं निर्धारित अवधि के लिए रखा जायेगा। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नही करेगा।
- अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहे उम्मीदवार मानदेय वृद्वि और नियमितिकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नही होगा।
- चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन पर अनुबंध रद्द माना जावेगा। जिसकी सूचना नही दी जावेगी और सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
- रिक्तियों की संख्या परिवर्तनीय है।
- आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 21 से 30 वर्ष निर्धारित है, छत्तीसगढ़ के स्थाई निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी। इसके अतिरिक्त शासन के प्रचलित नियमानुसार वर्गवार आयु सीमा में छूट दी जायेगी।
- आरक्षण एवं आयू सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमो के अनुसार लागू होगा।
- चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पडेगा अन्यथा मैरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नही दी जावेगी।
- कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा को विज्ञापन वापस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधी में कार्य से संतुष्ट नही पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में कार्य से पृथक करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन/अपील विचारणीय व मान्य नही होगा। विवाद होने पर निर्णय का सम्पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा के पास सुरक्षित होगा।
- सभी आवश्यक दस्तावेज को स्वप्रमाणित कर संलग्न करें।

आवेदन की प्रक्रिया–

1. आवेदन के सभी कॉलम को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर भरे।
2. आवेदन निर्धारित प्रारूप में तथा पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो निर्धारित स्थान पर चस्पा कर स्वप्रमाणित करें।
3. सभी आवश्यक दस्तावेज शैक्षणिक योग्यता (10वी, 12वी, स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.एड./डी.एड. विशेष शिक्षा)/अन्य को स्वप्रमाणित कर संलग्न करें।
4. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र आवश्यक हो तो स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
5. संलग्न प्रमाण पत्रो को आवेदन पत्रो में उल्लेखित क्रम में संलग्न किया जाना अनिवार्य हैं।
6. आवेदन पत्र **जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, द्वितीय तल, कक्ष क्र. 37 कलेक्ट्रेट परिसर रायपुर, पिन नं. 492001** के नाम से स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से ही **दिनांक 25/08/2025** तक सायं 05:00 बजे तक ही प्रेषित किया जावे।
7. समग्र शिक्षा, जिला परियोजना कार्यालय, रायपुर डाक में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नही रहेगा, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिया जावेगा। कार्यालय में सीधे

8. आवेदक को लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरो में आवेदित पद का नाम, प्रायमरी स्टेज/मिडिल–सेकेण्डरी स्टेज का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
9. आवेदन के साथ डाक टिकट चस्पा किया हुआ स्वयं का वर्तमान निवास का पता लिखा 02 लिफाफा पत्राचार हेतु संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
10. अपूर्ण आवेदन, निर्धारित प्रारूप में गलत जानकारी को अस्वीकृत माना जायेगा। अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नही दी जावेगी।

चयन प्रक्रिया–

1. प्राथमिक शालाओं के लिए निर्धारित योग्यता **12वीं का 30 प्रतिशत्, अनुभव का 10 प्रतिशत्** (प्रत्येक वर्ष पर 1 अंक अधिकतम 10 अंक) एवं भारतीय पुर्नवास परिषद् RCI (Rehabilitation Council of India) पंजीकृत विश्वविद्यालय अथवा **महाविद्यालय से D.El.Ed./D.Ed विशेष शिक्षा का 50 प्रतिशत्**, उच्च योग्यताः– **स्नातक का 5 प्रतिशत, बी.एड़ का 5 प्रतिशत।**
2. उच्च प्राथमिक/हाई/हा.से.स्कूलों के लिए निर्धारित योग्यता **स्नातक का 30 प्रतिशत्, अनुभव का 10 प्रतिशत्** (प्रत्येक वर्ष पर 1 अंक अधिकतम 10 अंक) एवं भारतीय पुर्नवास परिषद् RCI (Rehabilitation Council of India) पंजीकृत विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय **बी.एड़ विशेष शिक्षा का 50 प्रतिशत्**। उच्च योग्यताः– **स्नाकोत्तर का 5 प्रतिशत, एम.एड़ का 5 प्रतिशत।**
3. निर्धारित तिथि 25/08/2025 समय अपरान्ह 05:00 बजे तक प्राप्त आवेदनो की स्क्रूटनी की जावेगी। स्क्रूटनी के आधार पर पात्र अभ्यर्थीयों की मैरिट सूची बिन्दु 01 व 02 के आधार पर तैयार की जावेगी।
4. प्रायमरी एवं सेकेण्डरी लेवल के लिए अनारक्षित एवं आरक्षित पदो के लिए पृथक पृथक प्रावीण्य सूची जारी की जावेगी। मैरिट के आधार पर 1 विज्ञापित पद के विरूद्व 10 अभ्यर्थीयों को अधिकतम (1:10) दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जावेगा।
5. विद्यालयों का आबंटन प्रावीण्य सूची के क्रम में काउंसलिंग के माध्यम से किया जावेगा।
6. चयन समिति को यह अधिकार होगा कि शाला में HI, VI, ID, LD विशेष शिक्षा वाले स्पेशल एजूकेटर की नियुक्ति शाला में दर्ज CWSN बच्चों के आधार पर की जावेगी।
7. चयन के समय किसी पद पर आवेदको के समान अंक होने की स्थिति में जिस आवेदक की जन्म तिथि पहले की होगी उसका चयन किया जावेगा।

–: स्पेशल एजुकेटर का कार्य दायित्व :–

1. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का दिव्यांगतावार डाटा रखना।
2. चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकता अनुसार सुविधा प्रदान करना।
3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिये तैयार करना तथा उनका संपूर्ण रिकार्ड एकत्र कर रखना।
4. इन बच्चों के पालकों को समय–समय पर बैठक लेकर उन्मुखीकृत करना तथा बच्चों को समाजिक गतिविधियों से जोडना।
5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना जैसे– छात्रवृत्ति, समाजिक सुरक्षा पेंषन, दिव्यांगता भत्ता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, स्कार्ट–ट्रांसपोर्ट, रीडर एलाउन्स, बालिका शिष्यावृत्ति आदि।
6. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण–प्रशिक्षण में सहयोग हेतु सामान्य शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करना।
7. विभिन्न विभागों व एन.जी.ओं. से संपर्क कर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण व अन्य लाभ की व्यवस्था कराना।
8. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना (IEP) तैयार करने में शिक्षक का सहयोग करना, जिससे बच्चें में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसका मूल्यांकन कर सके।
9. शाला में पियर्स ग्रुप (सहपाठी समूह) तैयार करना जिससे वे बच्चें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मदद कर सके।
10. विशेष आवश्यकाता वाले बच्चों हेतु शालाओं में बाधारहित वातावरण निर्मित करने में शिक्षकों को प्रोत्साहित

11. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुसार वास्तविक TLM का ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना तथा नियमित कक्षा के अतिरिक्त बच्चों के समझ हेतु पृथक प्रयास करना।
12. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियमित उपस्थिति व ठहराव पर नजर रखना व योजना बनाकर उपाय बनाना एवं बच्चों के पालको को उपयोगी सहयोग प्रदान कर उनके पालको से सतत् संपर्क में रहना।
13. शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्या एवं समाधान के बारे में आवश्यक परामर्श देना तथा उनकी आवश्यकता के अनुकूल कक्षागत रणनीति व पाठ्यक्रम में उचित सुधार व सुझाव देना।
14. विकासखण्ड़ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर आधारित चलने वाले कार्यक्रम से फीडबैक लेकर सुधारात्मक उपाय बनाना।
15. जनभागीदारी समिति (SMC/SMDC) में विशेष आवश्यकता वाले बच्चो की जानकारी देना व उनके लिये निदानात्मक उपाय बनाकर लागू करना।
16. रिसोर्स सेंटर में CWSN बच्चें जिन्हें थैरेपी की आवयकता हो उन्हे विशेष प्रशिक्षण एवं आवश्यक थैरेपी प्रदान करने में सहयोग करना तथा इस हेतु पालकों को प्रशिक्षित करना/जागरूक करना/सहयोग देना।
17. विशेष आवश्यकता वाले बच्चें की सूची तैयार कर उसकी आवश्यकता को पूरा कराने के लिए प्रयास करना एवं किये गये प्रयास की जानकारी संबंधित शाला/जनभगीदारी समिति/पालक को देना।
18. सामान्य शिक्षको को ब्रेल-लिपि, सांकेतिक भाषा, 21 प्रकार की दिव्यांगता, चेक लिस्ट, शालाओ में बाधारहित वातावरण, पाठ्यक्रम अनुकूलन आदि का प्रषिक्षण देना।
19. समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग से सतत् संपर्क स्थापित करना व इन विभागो के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से लाभांन्वित करना।
20. शाला में अध्ययनरत CWSN बच्चों की सूची संकुल समन्वयक को प्रदान करना जिससे उपस्थिति की सूचना शाला स्तर एवं पालको तक पहुचाया जा सके।
21. इसके अतिरिक्त समय-समय पर राज्य एंव जिला स्तर पर दिये गये आदेश/निर्देशों के अनुसार कार्य करना।

आवेदन पत्र की उपलब्धताः– आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी रायपुर जिले के वेबसाईड Raipur.gov.in पर देखी जा सकती है। दावा आपत्ति हेतु मेरिट सूची एवं चयन सूची भी वेब साईड व कार्यालय में देखी जा सकती है।

जिला मिशन समन्वयक,
समग्र शिक्षा,
जिला रायपुर (छ.ग.)

स्पेशल एजूकेटर भर्ती हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

जिला परियोजना कार्यालय
समग्र शिक्षा, कलेक्टोरेट परिसर,
द्वितीय तल, कक्ष क्रमांक–37,
जिला रायपुर (छ.ग.)

पासपोर्ट साईज फोटो अभिप्रमाणित

आवेदित पद का नाम :– ....

Primary Level/Upper Primary+High School+Higer secondry Level का स्पष्ट उल्लेख ....

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :– ....
   (अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) :– ....
2. पिता / पति का नाम (हिन्दी में) :– ....
   (अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) ....
3. जन्मतिथि (अंको में) :– ....
   (शब्दो में) :– ....
4. आयु दिनांक 25.08.2025 की स्थित में :– वर्ष .... माह .... दिन ....
5. लिंग :– महिला / पुरूष ....
6. क्या आप छ.ग. के मूल निवासी है:– हां / नही ....
7. निवासरत विकासखंड का नाम ....
8. रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन क्रमांक ....वर्ष....................
9. आवेदक का जाति प्रवर्ग ....
   (अनारक्षित / अ.ज.जा. / अ.जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षित वर्ग के प्रमाण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
10. आर.सी.आई. पंजीयन– सी.आर.आर. नं............................जीवित वैधता की तारीख ....
11. शैक्षणिक / व्यवसायिक योग्यता का विवरण जो कि अनिवार्य आर्हता में चाहा गया है:–

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	दसवी					
2	बारहवी					
3	स्नातक					
4	स्नाकोत्तर					
5	डी.एड. / डी.एल. एड. (विशेष शिक्षा दिव्यांगता पर)					
6	बी.एड. / एम.एड. (विशेष शिक्षा दिव्यांगता पर)					

12. कार्यानुभवः—

क्र.	पदनाम	संस्था का नाम	नियोजन की अवधि		
			कब से	कब तक	कुल वर्ष

13. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :— ....

....

(ब) स्थाई पता :— ....

....

(स) मोबाईल/वाटसएप्प नं. :— ....

14. संलग्न दस्तावेजों की सूची(स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है) :—

1. दसवी अंक सूची/जन्म प्रमाण पत्र
2. न्यूतम शैक्षणिक योग्यता की छायाप्रति
3. व्यवसायिक अंक सूची
4. आर.सी.आई. पंजीयन प्रमाण पत्र
5. मूल निवासी प्रमाण पत्र
6. जाति प्रमाण पत्र
7. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन
8. आधार कार्ड
9. अनुभव प्रमाण पत्र
10. अन्य

आवेदक का हस्ताक्षर

—: घोषणा पत्र :—

मै प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इसमें दी गई जानकारी असत्य पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

मै यह भी वचन देता हूँ कि यदि मेरा चयन आवेदित पद के लिए हो जाता है तो मै पूरी निष्ठा से अपनी सेवाएं दूंगा/दूंगी।

दिनांक :—

स्थान :—

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम ....

पूरा पता ....

....

....

मो.नं.